न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या –26 / 2023

मोहन वगै0 बनाम मंगला वगै0

दावा इस्तकरार हक दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक– 02/06/2025

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्तागण उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम बहरावण्डा जिला दौसा में साबिक खसरा नम्बर 1432 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1434 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1435 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1452 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1454 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1455 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1463 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा स्थित रहे है जिसके हाल खसरा नम्बर 959 जो खसरा नम्बर 1434 व 1432 की भूमि 2 बीघा 11 बिस्वा को गलत तरीके से खसरा नम्बर 959 में सम्मिलित कर दिया। इस प्रकार खसरा नम्बर 1434 एवं 1432 वादीगण की ममलूका मकबूजा कब्जे काश्त व खातेदारी की बजमाने बुजुर्गान से रही है लेकिन भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तरीके से वादीगण की भूमि उक्त दोनों खसरा नम्बरान को नये खसरा नम्बर 959 में सम्मिलित करते हुए प्रतिवादी सख्या 1 की खातेदारी में दर्ज कर दिया। एवं प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि 1454 एवं 1462 को वादीगण के खातेदारी में दर्ज कर दिया। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण की दो बीघा ग्यारह बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करने से वादीगण को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए दावा वादीगण स्वीकार इस इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि साबिक खसरा नम्बर 1432 एवं 1434 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बहरावण्डा वादीगण की ममलूका मकबूजा कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि रही है उसे भू प्रबन्धक विभाग ने गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा संख्या 959 में शामिल कर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदारी दर्ज कर दी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम दर्ज कर दिया उसे दुरूस्थ कर पूर्व जमाबंदी संवत 2008 से 2022 के मुताबिक दुरूस्थ करवाने

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

के अधिकारी है तथा अपनी भूमि पर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषे0 पाबंद करवाने के अधिकारी है।

प्रकरण में दिनांक 14.05.2025 को उभयपक्षकारान द्वारा आपसी राजीनामा पेश किया गया है। उक्त राजीनामा वादी संख्या 1 लगायत 6, वादी संख्या 7 जो कि फौत हो चुका है के वारिसान, वादी संख्या 8 लगायत 11 तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो कि फौत हो चुका है के वारिसान की ओर से पेश किया गया है। उभयपक्षकारान द्वारा पेश राजीनामे का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा इस आशय का पेश किया गया है कि प्रतिवादीगण मंगला के कायम मुकाम दावे में वर्णित भूमि मुतदाविया गत खसरा नम्बर 1432 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 1434 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा सम्वत सेटलमेण्ट के पहले इसके बाद खसरा नम्बर 959 तथा हाल खसरा नम्बर 1585 रकबा 1.5500 है0 चाही ए वाके ग्राम बहरावण्डा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 1585 रकबा 1.5500 है की खातेदारी मंगला के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है इस प्रकार प्रतिवादीगण वर्तमान में उक्त भूमि के काबिज काश्त खातेदार है लेकिन उनकी खातेदारी जमाबंदी में मंगला के नाम से ही चली आ रही है। वादीगण ने वादपत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1585 के खातेदार अधिकार की उदघोषणा बाबत वादपत्र पेश किया था जिस पर दोनो पक्षो में इस शर्त पर राजीनामा हो गया कि भूमि खसरा नम्बर 1585 रकबा 1.55 है0 यानिकि 6 बीघा 4 बिस्वा की है जिसमें प्रतिवादीगण वादीगण को 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि की खातेदारी में से कम करवाकर वादीगण को 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार दे रहे है तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम रहेगी। वादीगण सेटलमेण्ट संवत 2017 से पहले इसके बाद खसरा नम्बर 942 तथा हाल खसरा नम्बर 1567 रकबा 3.08 है0 चाही ए तथा भूमि वाके ग्राम बहरावण्डा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 1567 रकबा 3.08 है0 की खातेदारी वादीगण के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है उसी प्रकार वादीगण वर्तमान में भूमि में काबिज काश्तकार है लेकिन उसके खातेदार जमाबंदी में मंगला के नाम से चली आ रही है भूमि खसरा नम्बर 1567 रकबा 3.08 है0 यानिकि 12 बीघा 8 एयर की खातेदारी वादीगण के नाम चली आ रही है जिसमें से 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार वादीगण प्रतिवादीगण को कब्जा अनुसार प्रदान कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे। उभयपक्षकारान द्वारा अपने अधिवक्तागण की उपस्थिति में राजीनामा को सोच समझकर पढ सुन समझकर सही होना स्वीकार कर प्रस्तुत कर दिया है उक्त राजीनामा अनुसार वादपत्र को डिक्री फरमाये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

उभयपक्षकारान द्वारा पेश राजीनामे का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर वादपत्र एवं राजीनामे के तथ्यों का मिलान संलग्न दस्तावेजात से किया गया। जमाबंदी संवत 2008 से 2022 में खसरा नम्बर 1432 तथा 1434 में भवरिया, घीस्या फूल्या व पूनिया एवं लोहडिया पि0 छीतर कोम माली सा0 देह खातेदार दर्ज है मिलान क्षेत्रफल संवत 2016 से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 1432, 1434 के नवीन नम्बर 959 कायम किए गए है तथा मिलान क्षेत्रफल संवत 2066 से खसरा नम्बर 1585 तथा 1586 कायम किए गए है खसरा नम्बर 1585 रकबा 1.5500 है0 मंगलराम पुत्र मूल्या की खातेदारी की भूमि है। इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर 1432 तथा 1434 के रूप में जो भूमि वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी रही है जिसे वर्तमान में प्रतिवादी मंगलराम की खातेदारी में शामिल कर दिया गया है। तथा उक्त सभी के संबंध में पक्षकारान के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। तथा सभी पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा मुताबिक डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया गया है। इसलिए राजीनामा स्वीकार मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण में पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा वादपत्र डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार बहरावण्डा मुताबिक राजीनामा खसरा नम्बर 1585 रकबा 1.5500 है0 में से 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम दर्ज करें तथा खसरा नम्बर 1567 रकबा 3.08 है0 में से 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की जावे। शेष भूमि पूर्वानुसार दर्ज रहेगी। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार बहरावण्डा को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ0 नवनीत कुमार RAS)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा